

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249942 CG-DL-E-07112023-249942

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750] No. 750] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

## NOVEMBER

भारतीय वैश्विक परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

फा. सं. ICWA/Admn/551/10/2023.—भारतीय वैश्विक परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् एतत्द्वारा, भारतीय वैश्विक परिषद्, भर्ती विनियम, 201 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय वैश्विक परिषद्, भर्ती (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।
  - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. भारतीय वैश्विक परिषद्, भर्ती विनियम, 2017 की अनुसूची में, -

(ए) लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	क्या चयन	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के	क्या सीधी भर्ती के लिए
नाम:			मैट्रिक्स में	पद है या	के लिए	लिए आवश्यक	निर्धारित आयु और शैक्षणिक
			स्तर	गैर-चयन	आयु सीमा	शैक्षिक और	योग्यताएं पदोन्नति के मामले
	STATES OF THE PARTY OF THE PART			पद		अन्य योग्यताएँ	में लागू होंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"1. लेखा	1* (2023)	समूह 'ए' गैर-	स्तर 10	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
अधिकारी।	*कार्यभार के आधार	मंत्रालयी।	(रु. 56100-				
	पर भिन्नता के		177500)ı				
	अधीन						

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि - चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा.	प्रितिनेयुक्ति द्वारा - केंद्र सरकार के अधिकारी - (ए) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 या मूल कैडर विभाग में समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 या मूल कैडर विभाग में समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में चार वर्ष की सेवा के साथ; और (वीं) निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी एक का होना:- (i) केंद्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण;	लागू नहीं।	लागू नहीं।
th de the	WEST AND AND THE STATE OF THE S	(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में नकद और लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण या समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और नकद, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव।  नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।  नोट 2: केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।  नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		HAT SI LUST LANG RECEIVED TO SERVED TO STATE OF SERVED

सौमेन बागची, उप महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./532/2023-24]

नोट : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में F. No. ICWA/Admn/551/24/2012, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

## INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

- **F. No. ICWA/Admn/551/10/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Council hereby makes the following regulations to amend the Indian Council of World Affairs, Recruitment Regulations, 2017, namely:
- (1) These regulations may be called the Indian Council of World Affairs, Recruitment (Amendment) Regulations, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Council of World Affairs, Recruitment Regulations, 2017, in the Schedule,-
  - (A) for serial number 1 relating to the post of Accounts Officer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

Name of Post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non- Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"1. Accounts Officer.	1* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non- Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100- 177500).	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment — whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By deputation.	By deputation – Officers of the Central Government -	Not applicable.	Not applicable".
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
		(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 9 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or		
		(iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
		(b) possessing any one of the following qualifications:-		
		(i) A pass in the subordinate accounts service or equivalent Exam conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government;		
	1891	(ii) Successful training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training and		

Management or equivalent training course and minimum of four years of experience in Cash, Accounts and Budget work. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall not exceed three years). Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

SOUMEN BAGCHI, Dy. Director General [ADVT.-III/4/Exty./532/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide F. No. ICWA/Admn./551/24/2012, dated the 25th April, 2017.